न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 254 / 2017

उनवान

1. हजारी पिता कालू गाडरी निवासी गायत्रीनगर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलार्थी / विपक्षी संख्या 2

बनाम

1. लादू लाल पिता भूरा लाल महाजन निवासी लाखोला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. माधु पिता करमा भील निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्टस् / विपक्षीगण

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण संख्या 45 / 2013 निर्णय दिनांक 12.06.2015

अभिभाषक : 1. श्री एच डी वर्मा ,अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री विवेकानन्द शर्मा अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री महेश दाधीच, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

आदेश

दिनांक 3.7.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 / प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गायत्रीनगर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाडा में प्रार्थी के खातेदारी की आराजी संख्या 829 रकबा 1.20 हेक्टेयर भूमि स्थित है। इसी प्रकार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी आराजी संख्या 771 रकबा 0.30 हेक्क्टेयर तथा विपक्षी संख्या 2 के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 773 रकबा 0.37 हेक्टेयर दर्ज है। प्रार्थी अपनी आराजियात में विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी आराजी संख्या 771 रकबा 0.30 हेक्टेयर जो आम सडक लाखोला रोड से लगी हुई है उक्त आराजी संख्या 771 के पूर्वी मेड से उत्तर तरफ प्रवेश करके दक्षिणी हिस्से में रास्ते से होकर विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 773 रकबा 0.37 हेक्टेयर के पश्चिमी मेड से अपनी आराजी नम्बर 829 में पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से संज, बैल, ट्रैक्टर, व पैदल आवागमन करते हैं तथा मौके पर वर्षो से आवागमन का रास्ता छूटा हुआ है व आराजी संख्या 771 में डोटेड लाईन नक्शे में बनी हुई है , अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की आराजी नम्बर 829 में आवागमन करने का नहीं है। तहसीलदार सहाडा ने प्रकरण संख्या 9/94 दिनांक 29.6.1994 में विपक्षीगण को रास्ते के लिए पाबन्द किया हुआ है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की आराजी में से प्रार्थी आवागमन करता आ रहा है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की आराजी पर पहूँचने का नहीं है। अतः विपक्षीगण की आराजी नम्बर 771 के पूर्वी मेड पर स्थित 10 फीट चौडे रास्ते व आराजी संख्या 773 की पश्चिमी पाली स्थित 10 फीट चौडे रास्ते को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराये जाने के लिए प्रार्थी ने विपक्षीगण को कहा तो विपक्षीगण ने मना कर दिया । इसलिए उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. अपीलाण्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट ग्रामी परिवेश का व्यक्ति है जो सम्मन की तामिल को समझ नहीं पाया तथा वह न्यायालय में नहीं गया जिससे उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई । बाद में दिनांक 12.6.2015 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में गया जहॉ पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कहा कि तुम आये हो इस बाबत हस्ताक्षर कर दो। जिस पर अपीलाण्ट ने हस्ताक्षर किय थे। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय के बारे में नहीं बताया था। दिनांक 19.6.2017 को पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारी जमीन में से रास्ता दिया है जिसके पैसे ले लो तब जानकारी हुई। जिस पर अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त की एवं अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जावे।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी ने स्वयं की खातेदारी आराजी संख्या 829 रकबा 1.20 हेक्टेयर में आने जाने के लिए रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के खातेदारी की आराजी संख्या 771 रकबा 0.30 हेक्टेयर जो कि रास्ते से लगी हुई है जिसकी पूर्वी मेड से उत्तरी तरफ प्रवेश करके दक्षिणी हिस्से में से होकर अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी संख्या 773 रकबा 0.37 हेक्टेयर के पश्चिमी मेड से होकर रास्ता है। जिस पर होकर वह पिछले 50 वर्षो से आता–जाता रहा है। उसके पास अपनी आराजी पर आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी को उसके द्वारा चाहा गया रास्ता देने में भारी भूल की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी ने अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 773 रकबा 0.37 हेक्टेयर की पश्चिमी मेड पर होकर रास्ता मांगा तथा अपीलाण्ट की आराजी संख्या 773 के पश्चिम दिशा में रास्ता नहीं देकर दक्षिण मेड पर रास्ता दे दिया । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लादू लाल के पहले आराजी संख्या 829 भीलों की थी तथा उस समय के खातेदार रामनाथ जी का खेडा में रहते थे जो ग्राम से निकलर भैरू पिता घीसा चमार व प्यारा पिता उदा गाडरी के खेड की दक्षिणी मेड पर होते हुए कालू व उदा गाडरी के खेतों की बीच की मेड पर होते हुए त्रिलोक पिता लोबा व पेमा भील की उत्तरी मेड पर होते हुए अपने खेतों पर यानि आराजी संख्या 829 पर पहूँचते थे तथा यही रास्ता इस आराजी पर आने–जाने के लिए उपयोग में आ रहा था। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट के खेत को नुकसान पहूँचाने की नियत से तैयार गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी को अपीलाण्ट की आराजी संख्या 773 की दक्षिणी मेड पर रास्ता दे दिया है । जहॉ पर रास्ता दिया है वहॉ पर रास्ता कभी भी नहीं था।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जो सम्मन की तामिल को समझ नहीं पाया तथा वह न्यायालय में नहीं गया जिससे उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई । बाद में दिनांक 12.6.2015 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में गया जहॉ पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कहा कि तुम आये हो इस बाबत हस्ताक्षर कर दो। जिस पर अपीलाण्ट ने हस्ताक्षर किय थे। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय के बारे में नहीं बताया था। दिनांक 19.6.2017 को पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जमीन में से रास्ता दिया है जिसके पैसे ले लो तब जानकारी हुई। अपीलाण्ट ने रास्ता दिये जाने हेतु कोई सहमति नहीं दी है। प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने खेत पर आने–जाने के लिए नयानगर से पुराना रास्ता है जबकि अपीलाधीन निर्णय से प्रत्यर्थी संख्या 1 को लाखोला से नजदीकी रास्ता उपलब्ध कराया गया है। जब पूर्व में रास्ता उपलब्ध हो तो नजदीकी अथवा सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जावे।

7. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 का निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे क्योंकि अपीलाण्ट ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया है। साथ ही निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में जो रास्ता चाहा था उसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उसके पास अपनी आराजी तक आने–जाने के लिए उपलब्ध नहीं था। उक्त रास्ता का उपयोग प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी पिछले 50 सालों से करता आ रहा था। इससे पूर्व भी 1994 में भी इसी रास्ते को लेकर झगडा हुआ था । जिस पर अपीलाण्ट को पाबन्द किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

8. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट की प्रोपर तामिल हुई थी। जिस पर उन्हें जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई बार मौके दिये गये। उसके बाद जवाब बंद किया गया । अपीलाण्ट का यह गलत कथन है कि उसे सुनवाई का मौका नही मिला है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया ।

10. अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया वह सद्भावी एवं संतोषजनक होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. अपीलाण्ट का यह कथन कि प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी के पास अपनी अराजी पर आने–जाने के लिए पूर्व में रास्ता उपलब्ध जो कि नयानगर से होकर आता है उसके बावजूद लाखोला से नया एवं नजदीकी रास्ता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को दिलाया गया है। अपीलाण्ट /विपक्षी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। पटवारी ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस भेजे गये। जिस पर दिनांक 27.5.2013 को विपक्षी संख्या 2 (अपीलाण्ट हजारी) बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा एवं विपक्षी संख्या 1 ने जवाब हेतु अवसर चाहा । विपक्षी संख्या 1 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये गये एवं दिनांक 27.1.2014 को विपक्षी संख्या 1 का जवाब बंद किये जाने का आदेश दिया गया एवं पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया । जिसमें भी दिनांक 16.6.

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2014 को बहस हेतु समय चाहा गया । प्रकरण को दिनांक 14.3.2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत में तलब किया गया जिसमें उभयपक्ष उपस्थित रहे थे। आगामी पेशी 11.5.2015 नियत थी परन्तु प्रकरण को दिनांक 6.7.2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प गणेशपुरा में रखा गया जिसकी सूचना उभयपक्ष को दी गई । उक्त दिनांक को बावजूद सूचना विपक्षी संख्या 2 यानि अपीलाण्ट हजारी उपस्थित नहीं हुए एवं विपक्षी संख्या 1 उपस्थित रहे। जबकि कैम्प कोर्ट की विधिवत तामिली हजारी के पुत्र किशन को दिनांक 10.6.15 को हुई थी। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई । ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का यह कथन कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया था युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है।

13. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई जिस पर नायब तहसीलदार, सहाड़ा, गिरदावर व पटवारी हल्का ने संयुक्त मौका रिपोर्ट तैयार की जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 1 के मध्य इसी रास्ते बाबत पूर्व में विवाद हुआ था जिस पर सहमति हुई थी जिसके संबंध में एक इकरार नामा दिनांक 27.6.1994 को निष्पादित किया था। जिसकी फोटो प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है।

14. नायब तहसीलदार,गिरदावर एवं पटवारी हल्का की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। पूर्व में उपयोग में लिये गये रास्ते को ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

15. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.6.2015 को यथावत रखा जाता है।

16. निर्णय आज दिनांक 3.7.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

3/7/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा